अ0शा0 परिपत्र संख्या-36/2010

करमवीर सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–बी.एन. लहरी मार्ग, लखनऊ ।

दिनांकःलखनऊः अक्टूबर 13,2010

प्रिय महोदय,

भारतीय समाज में दहेज अपराध की सामाजिक कुरीति एवं विवाहित महिलाओं के प्रति उसके पति एवं सम्बन्धियों द्वारा क्रूरता का व्यवहार, के लिए वर्ष–1983 में भारतीय दण्ड संहिता में एक नई धारा '498ए' सम्मिलित की गई, जिसमें ऐसे अपराधों के लिए 3 वर्ष तक के दण्ड एवं अर्थदण्ड का प्राविधान रखा गया है। यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय है। इस प्राविधान का उद्देश्य विवाहित महिलाओं को उनके पति एवं सम्बन्धियों द्वारा की जाने वाली क्रूरता से संरक्षण दिलाना है, जिसका भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में स्वागत किया गया। शासन को इस प्राविधान के दुरूपयोग के सम्बन्ध में जानकारियॉ प्राप्त हुई। प्रायः देखा गया है कि इस प्राविधान का प्रयोग क्षणिक आवेश में अपने निहित स्वार्थ या पारस्परिक मतभेदों को निपटाने के लिए किया जा रहा है और परिवार के दूरवर्ती एवं निकटस्थ सदस्यों, भले ही वह अवस्यक स्कूल जाने वाले भाई–बहनों, पौत्र–पौत्रियों, अविवाहित/विवाहित ननदों आदि के विरूद्ध प्रयोग में लाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप परिवार के उपरोक्त सदस्यों की गिरफ्तारी होती है। इस गिरफ्तारी के कारण भविष्य में समझौते की सम्भावना समाप्त हो जाती है और प्रायः वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाता है।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालयों एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों के द्वारा धारा 498ए भादंवि के प्राविधानों का दुरूपयोग रोकने के लिए निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं, जिनका पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें:–

1– धारा 498ए भादंवि के मतभेद के मामलों में अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयोग आवश्यक होने पर ही किया जाय, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने डी0के0 बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य सीआरएल सीडब्लूपी नं0–539/86 में दिनॉकः 18.02.96 को निर्णीत किया है और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता, परामर्श एवं समझौते की सम्भावनाओं के समाप्त हो जाने पर ही किया जाय।

2– ऐसे मामलों में धारा 498ए भादंवि का आरोप योजित करने से पूर्व वैवाहिक विवादों को पक्षकारों के मध्य परामर्श एवं सलाह की प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया जाय। इस प्रक्रिया के असफल होने पर ही धारा 498ए भादंवि या अन्य विधियों में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने पर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। परामर्श, समझौते आदि की प्रक्रिया महिलाओं के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ में व्यावसायिक प्रशिक्षित सलाहकारों द्वारा प्राप्त कराई जाय।

भवदीय

13/10/10

(करमवीर सिंह)

समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नॉकित को–कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आईडी0, उ0प्र0, लखनऊ।
2– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।